विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय हैं जिनमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा, सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत पाँच विभागों से संबंधित छः अनुपालन लेखापरीक्षाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित एक अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदन में लोक निर्माण विभाग से संबंधित दो लेखापरीक्षा कंडिकाएं शामिल है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है। लेखापरीक्षा के नमूने सरल यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि, आइडिया सॉफ्टवेयर के उपयोग से यादृच्छिक नमूनाकरण और परिमाण सापेक्ष संभाव्यता क्रमबद्ध नमूनाकरण विधि के आधार पर लिये गये हैं। अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख अनुपालन लेखापरीक्षाओं में किया गया है। शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा अनुशंसाएं की गयी हैं।

अध्याय 1

यह अध्याय सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शासन की प्रतिक्रियाओं के साथ–साथ विभागों के व्यय पर संक्षिप्त विवेचना तथा लेखापरीक्षा की योजना और सीमा प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2

यह अध्याय अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

(i) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का कार्यान्वयन

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए किया गया था कि नियोजन और निधियों का प्रबंधन योजना के दिशानिर्देशों पर आधारित था; निविदा, अनुबंध प्रबंधन और कार्य का निष्पादन निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रचलित क्षेत्र की उत्तम प्रथाओं के अनुरूप था; तथा निगरानी एवं संचालन और रखरखाव कुशल और प्रभावी थे।

राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार, मिशन शहरों द्वारा 36–37 माइलस्टोन प्राप्त किए गए थे। जबकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मात्र 15–16 माइलस्टोन ही प्राप्त किए गए हैं। क्षमता निर्माण के माध्यम से नगरपालिका पदाधिकारियों को सशक्त बनाने का इच्छित उद्देश्य उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान न किए जाने के कारण पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना का निष्पादन बहुत धीमा था क्योंकि कुल 114 कार्यों में से ₹ 1,712.07 करोड़ की लागत के 19 कार्य मार्च 2023 तक अपूर्ण थे तथा 20 कार्य 3 से 33 महीने के विलंब से पूर्ण किए गए थे। जल आपूर्ति परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के कारण मिशन अवधि के दौरान नौ मिशन शहरों में से आठ में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त वितरण नेटवर्क, पीएलसी–स्काडा और मीटर स्थापना के अपूर्ण कार्य के कारण नौ मिशन शहरों के रहवासियों को 135 एलपीसीडी पानी उपलब्ध कराने के सेवा स्तर मानक को प्राप्त नहीं किया जा सका।

मिशन सिटी, राजनांदगांव द्वारा खरखरा बांध में सिविल कार्यों के शुरूआत को सुनिश्चित किए बिना ही अनुपचारित सतही जल की आपूर्ति के लिए जनवरी 2021 में मोहारा

एनीकट और खरखरा बांध के मध्य पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया। इसके तहत, बिछाई गई पाइपलाइन का उपयोग नहीं किया जा सका और ₹ 62.53 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसी प्रकार, मिशन सिटी बिलासपुर ने नहर लिंकिंग परियोजना की पूर्णता को सुनिश्चित किए बिना अनुपचारित सतही जल की आपूर्ति के लिए 26.50 किलोमीटर पाइपलाइन (लागत ₹ 84.87 करोड़) बिछाने का कार्य निष्पादित किया जिससे बिलासपुर में जल के मांग की पूर्ति प्रभावित रही।

सात मिशन शहरों में जल आपूर्ति योजना के लिए पाइप सामग्री का चयन विस्तृत आर्थिक विश्लेषण किए बिना ही किया गया था और राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा डीपीआर की स्वीकृति प्रदान करते समय पाइप सामग्री के चयन के लिए मानदंड/आधार को समान रूप से लागू नहीं किया गया था। अनुबंध में उत्पाद शुल्क छूट के प्रावधान के होते हुए भी बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में उत्पाद शुल्क सहित दरों की अनुमति देने के कारण भिलाई जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत ₹ 9.52 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण विभाग मैनुअल में निर्धारित मानक अनुबंध की शर्तों को शामिल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मिशन शहरों द्वारा निष्पादित समान प्रकार के अनुबंधों में शास्ति संबंधी शर्तो में भिन्नता थी। मिशन शहरों द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली, शास्ति लगाने आदि से संबंधित अनुबंध की निबंधनों और शर्तों को सही से लागू न करने के कारण ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया।

चार मिशन शहरों में अपशिष्ट जल के उपचार हेतु सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना के लिए प्रारम्भ की गई सात परियोजनाओं/कार्यों में से छः कार्य पूर्ण किए गये थे। हालांकि, इन मिशन शहरों में से किसी ने भी पुनर्चक्रित जल के उपयोग के बारे में जनता को संवेदनशील बनाने या सुविधा प्रदान करने के लिए कोई नीति या कार्ययोजना नहीं बनाई। परिणामस्वरूप, पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल का उपयोग गैर–पेय उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया और उसे स्थानीय नाले या नदी में प्रवाहित किया जा रहा था।

वर्ष 2017–2022 के दौरान पांच मिशन शहरों में जल शुल्क का संग्रहण प्रतिशत 10.50 प्रतिशत से 80.69 प्रतिशत तक था, जो कि अमृत दिशा–निर्देशों में निर्धारित 90 प्रतिशत के मानदंड से काफी कम था। मिशन शहरों का जीआईएस आधारित मास्टर प्लान पांच साल के विलंब के बाद भी तैयार नहीं किया गया था।

- ***सभी सेवा स्तरीय मानक हासिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए और क्षमता निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों/अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।***
- ***अनुबंध की सामान्य और मानक शर्तों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण विभाग मैनुअल में निर्धारित मानक अनुबंध दस्तावेजों को सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाया जाना चाहिए।***
- ***अनुबंध में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए तथा अनुबंध की शर्तों को शिथिल करके ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने से बचना चाहिए।***
- ***पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की नीति को सभी मिशन शहरों में उचित रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।***
- ***जल आपूर्ति योजना और सीवरेज प्रबंधन प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल/उपयोगकर्ता शुल्क का समय–समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है तथा जल/उपयोगकर्ता शुल्क के शत–प्रतिशत संग्रहण के प्रयास किए जाने चाहिए।***

(कंडिका 2.1)

अध्याय 3

यह अध्याय (i) सिंचाई परियोजना हेतु नाबार्ड सहायता प्राप्त ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि; (ii) पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना; (iii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कार्यान्वयन और खरीद; (iv) छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण एवं (v) बिगड़े वनों के सुधार कार्य के कार्यान्वयन पर पाँच अनुपालन लेखापरीक्षाओं तथा दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निष्कर्षों से संबंधित है। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

(i) सिंचाई परियोजना हेतु नाबार्ड सहायता प्राप्त ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) पर अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सहायता प्राप्त आरआईडीएफ के माध्यम से वित्तपोषित सिंचाई परियोजनाओं के नियोजन और निष्पादन, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने निधि जारी करने और उनके उपयोग तथा लक्षित सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग की जांच करने के उद्देश्य से की गई थी।

नाबार्ड सहायता प्राप्त ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान स्वीकृत 60 परियोजनाओं में से मार्च 2022 तक केवल 15 परियोजनाएं पूरी हुईं और 45 परियोजनाएं अधूरी रहीं।

लेखापरीक्षा ने 39 कार्यों की नमूना जांच किया और पाया कि विभिन्न कारणों से जैसे भूमि अधिग्रहण में विलंब, कोविड–19 के दौरान कार्य की धीमी प्रगति और नहर नेटवर्क में कमांड क्षेत्र का ओवरलैपिंग और अन्य मुद्दे आदि के कारण 15 कार्य अभी भी अपूर्ण है। परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के कारण 36,776 हेक्टेयर की डिजाइन/प्रस्तावित सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 17,715 हेक्टेयर (48 प्रतिशत) की सिंचाई क्षमता की कमी/सृजन नहीं हुआ।

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश (दिसंबर 2013) का उल्लंघन करते हुए, जल संसाधन विभाग के चार संभागों ने वर्ष 2016–20 के दौरान ₹ 40.63 करोड़ के निविदा की अनुमानित लागत के साथ छः कार्यों के लिए निविदा जारी की थी और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा किए बिना कार्य का निष्पादन भी शुरू कर दिया था और भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरणों में देरी के कारण ये सभी कार्य जून 2024 तक अपूर्ण थे। कल्हामार व्यपवर्तन योजना के लिए नहर का कार्य नहीं करने के कारण शीर्ष कार्य के निर्माण पर किए गए ₹ 2.06 करोड़ का व्यय निरर्थक हो गया क्योंकि विगत 15 वर्षों से संरचना का उपयोग नहीं किया गया था और 262 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। सूरजपुर ब्लॉक में रेहर नदी पर व्यपवर्तन योजना के लिए उपयोगिता सुनिश्चित नहीं करते हुए वीयर (हेड वर्क) का निर्माण नहर के बिना किया गया, जिससे ₹ 28.02 करोड़ का अपव्यय हुआ।

अरपा भैसाझार वृहद परियोजना में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, अंतर–राज्यीय मंजूरी और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा डीपीआर की मंजूरी जैसे आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने से पूर्व ही कार्य शुरू कर दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप कार्य के दायरे एवं परियोजना की लागत में बदलाव हुआ। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी के कारण परियोजना अधूरी रही, सीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित डीपीआर के अनुसार 386.90 किलोमीटर की डिजाइन की गई लंबाई में से केवल 329.46 किलोमीटर लंबाई की नहर का निर्माण पूरा हो पाया। इसके अलावा, कार्य शुरू होने के 10 साल से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नहर का काम पूरा न होने के कारण डिजाइन की गई सिंचाई क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी।

- ***परियोजना की निर्धारित सिंचाई क्षमता को प्राप्त करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने का प्रयास किया जाना चाहिए।***
- ***परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व नहर कार्य के लिए भूमि की उपलब्धता का आकलन/सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करने के पश्चात हेडवर्क और नहर कार्य की तकनीकी स्वीकृति समग्र रूप से दी जानी चाहिए।***
- ***परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब से बचने के लिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जानी चाहिए।***

(कंडिका 3.1)

(ii) पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने (बीजीआरईआई) पर अनुपालन लेखापरीक्षा

बीजीआरईआई पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या योजना को दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा था, योजना के तहत विभिन्न हस्तक्षेपों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया था और विभाग द्वारा मितव्यता से धन जारी किया गया था, लेखाबद्ध किया गया था और उपयोग किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चावल के प्रदर्शन के लिए लिया गया क्षेत्र आम तौर पर वर्ष 2018–21 की अवधि में कम हो गया। वर्ष 2017–21 के दौरान स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों के लिए निधि आवंटन 7–27 प्रतिशत के बीच था जो कि 30 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड से कम था। प्रमाणित बीजों के उत्पादन को हाईब्रिड बीजों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई थी, भले ही हाईब्रिड बीजों का उत्पादन प्रमाणित बीजों की तुलना में अधिक था।

वर्ष 2017–18 में वितरण को छोड़कर, चावल के हाईब्रिड बीजों के उत्पादन और वितरण का निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान प्राप्त नहीं किए गए थे। योजना के तहत कुल आवंटन में से परिसंपत्ति निर्माण के लिए किया गया व्यय वर्ष 2017–21 के दौरान 13 से 15 प्रतिशत के बीच था जो दिशानिर्देशों के अनुसार 20 प्रतिशत के वांछित आवंटन से कम था। परिसंपत्ति निर्माण में उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित बिजली उपकरणों के बजाय मैनुअल उपकरणों पर अधिक व्यय किया गया था। विभाग, निधियों के कम आवंटन के कारण फसल कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन सुविधाओं को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं कर सका। इसके अलावा, वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान, चावल और गेहूं के उत्पादन में क्रमशः 8 और 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, चावल और गेहूं के लिए छत्तीसगढ़ की समग्र उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से क्रमशः 16 प्रतिशत और 54 प्रतिशत कम थी।

विभाग वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान उपलब्ध निधियों का 47–91 प्रतिशत उपयोग कर सका। वित्तीय वर्ष के भीतर निधियों के उपयोग नही करने के कारण वर्ष 2020–21 में भारत सरकार और राज्य के हिस्से की राशि ₹ 24.26 करोड़ कम जारी हुई। वर्ष 2017–21 की अवधि के दौरान अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को 14 से 49 महीने की देरी से प्रस्तुत किए गए थे। राज्य स्तर, जिला स्तर पर निगरानी निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं था।

- ***चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस टालरेन्स किस्मों और हाईब्रिड बीज किस्मों जैसी उच्च उपज तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।***
- ***किसानों की आय बढ़ाने के लिए चावल परती क्षेत्रों को खेती के अंतर्गत लाने के लिए क्रोपिंग सिस्टम बेस्ड दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए।***

(कंडिका 3.2)

(iii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कार्यान्वयन और खरीद पर अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या नियोजन और निधि प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था; योजनाओं को सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों और निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्रियान्वित किया गया था और खरीद योजना के दिशा–निर्देशों के साथ–साथ छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के अनुरूप की गई थी।

राज्य में बागवानी फसलों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 2019–20 में 8.62 लाख हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2021–22 में 8.35 लाख हेक्टेयर रह गया। लेखापरीक्षा ने नियोजित गतिविधियों से विचलन देखा जिसके परिणामस्वरूप योजना के तहत लक्षित गतिविधियों की प्राप्ति नहीं हुई। सेंटर ऑफ एक्सिलेंस, कोल्ड चेन अवसंरचना, जैविक खेती और प्रमाणन जैसी प्रमुख गतिविधियों की योजना हालांकि वर्ष 2017–22 की परिप्रेक्ष्य योजना में बनाई गई थी, लेकिन उन्हें वार्षिक कार्य योजना का हिस्सा नहीं बनाया गया और इस प्रकार उन्हें कार्यान्वयन के लिए नहीं लिया गया। योजना के कार्यान्वयन में कमियाँ जैसे कि शेडनेट हाउस के निर्माण में सब्सिडी का अनियमित वितरण, प्राकृतिक वातायन प्रणाली ग्रीन हाउस संरचना के लिए सब्सिडी का अधिक भुगतान, प्रतिरक्षण इकाई के सभी घटकों की स्थापना सुनिश्चित किए बिना कम लागत वाली प्रतिरक्षण इकाई के लिए सब्सिडी का वितरण पाया गया। बागवानी मशीनीकरण के अंतर्गत रोटरी टिलर, पावर वीडर और पल्वराइजर जैसी वस्तुओं की आपूर्ति, निविदा के माध्यम से तय प्रतिस्पर्धी दर के बजाय, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)/कृषि मशीनीकरण के लिए उप मिशन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य सब्सिडी की अधिकतम राशि के आधार पर की गई, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता फर्मों को अनुचित लाभ हुआ और सरकार पर सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

- ***विभाग को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।***
- ***विभाग को प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से कृषि उपकरण/सामग्री की खरीद की प्रणाली को सुव्यवस्थित करना चाहिए और गुणवत्ता से समझौता किए बिना किसानों को किफायती लागत पर आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।***
- ***विभाग को सब्सिडी के भुगतान के लिए दरों और अनुबंध की अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए।***

(कंडिका 3.3)

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण पर अनुपालन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार ने कौशल प्रशिक्षण क्षमता और लोगों की लाभकारी रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ युवाओं का कौशल विकास का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की स्थापना की।

राज्य में कौशल विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित वर्ष 2022 तक 1.25 करोड़ कार्यशील आबादी को प्रमाणित कुशल तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के विपरीत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने पूरे राज्य में वर्ष 2014–23 के दौरान 7,27,039 (छः प्रतिशत) उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का बहुत कम लक्ष्य निर्धारित किया। इस लक्ष्य के विपरीत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण केवल 4,70,302 प्रशिक्षुओं (65 प्रतिशत) को ही प्रमाणित कर सका। प्रधानमंत्री

कौशल विकास योजना के अंतर्गत, 17,504 के लक्ष्य के विपरीत केवल 8,481 (48 प्रतिशत) युवा सफलतापूर्वक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं में से 3,312 (39 प्रतिशत) को नियोजित नहीं किया जा सका। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों को राज्य सरकार द्वारा लोक नियोजन के उद्देश्य से पात्रता अर्हता के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। नौ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन प्रमाणपत्रों को मान्यता नहीं दिये जाने से प्रशिक्षु प्रभावित हुए तथा रोजगार और आजीविका प्राप्त करने का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

चयनित जिलों में प्रशिक्षण संचालित करने के लिए पंजीकृत 91 वीटीपी में से 84 नमूना जांच वीटीपी द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था क्योंकि 71 प्रतिशत वीटीपी ने मैनुअल उपस्थिति प्रस्तुत की और 21 प्रतिशत वीटीपी ने किसी भी रूप में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 3,01,361 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, हालांकि, इनमें से 2,09,040 को वीटीपी आवंटित किए गए थे, जबकि शेष 92,321 (31 प्रतिशत) उम्मीदवारों को 90 दिनों के निर्धारित समय के भीतर वीटीपी का आवंटन न होने के कारण प्रशिक्षण नहीं मिल सका। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण ने जशपुर में एक निजी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी) को छात्रावास सुविधा सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना बड़ी संख्या में आवासीय प्रशिक्षण आवंटित किए थे। छात्रों के लिए आवास और कक्षा में बुनियादी ढांचे की अधिकतम क्षमता से अधिक प्रशिक्षण बैचों का आवंटन (वर्ष 2016–17) किया गया था। नमूना जांच से यह भी पता चला कि आवासीय लागत के लिए समर्थक देयकों/प्रमाणकों की जांच किए बिना भुगतान किया गया था।

वर्ष 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग नहीं किया गया था तथा वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान मरम्मत एवं रखरखाव, सामग्री आपूर्ति और औजार एवं उपकरण शीर्ष के अंतर्गत **₹** 1,358.53 लाख की निधियों का उपयोग जिला कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया था और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बजट नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से शासन को समर्पण कर दिया गया था। पंजीकृत शासकीय वीटीपी ने बिना किसी निगरानी तंत्र के प्रशिक्षण कार्यों को अन्य एजेंसियों/प्रशिक्षण भागीदारों को हस्तांतरित/आउटसोर्स किया, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हुई। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण/राज्य परियोजना आजीविका महाविद्यालय समिति और जिला कौशल विकास प्राधिकरण/आजीविका महाविद्यालय में विभिन्न पदों पर मानव संसाधन की अत्यधिक कमी थी जिसने गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने और वीटीपी की निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

- ***छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा के उद्देश्यों के अनुरूप उच्च शिक्षा या लोक नियोजन के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।***
- ***गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वीटीपी की निगरानी में सुधार करने हेतु जिला कौशल विकास प्राधिकरण, आजीविका महाविद्यालय और छात्रावासों में कर्मचारियों की भर्ती जल्द से जल्द की जानी चाहिए।***
- ***प्रमाणित कुशल तकनीशियन के लक्ष्य को प्राप्त करने और सभी आवेदकों को उनकी पसंद के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शासन पंजीकृत वीटीपी की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठा सकती है।***

- ***शासन को प्रशिक्षुओं/प्रतिभागियों को आवश्यक कौशल का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए निजी और शासकीय वीटीपी द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण की उचित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।***

(कंडिका 3.4)

(v) बिगड़े वनों के सुधार कार्य के कार्यान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा

वर्ष 2019–22 की अवधि के लिए बिगड़े वनों के सुधार कार्य के कार्यान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा यह जांच करने के लिए किया गया कि क्या बिगड़े वनों के सुधार (आरडीएफ) कार्यों के बारे में कार्य योजनाओं में परिकल्पित निर्देशों और अनुसूचियों का पालन किया जा रहा है।

रिक्त वन क्षेत्रों में प्रारंभ किये गये ₹ 10.02 करोड़ व्यय के साथ आरडीएफ वृक्षारोपण रहित कार्य रिक्त वन क्षेत्रों के लिए निर्धारित उपचार से विचलन में था। कुल 575.12 हेक्टेयर अतिक्रमित वन क्षेत्र में वृक्षारोपण रहित बिगड़े वन के उपचार कार्य पर ₹ 99.14 लाख का व्यय किया गया जिससे ₹ 99.14 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। बीजापुर वनमंडल ने इन कम्पार्टमेंट्स के 173.565 हेक्टेयर रिक्त वन क्षेत्र और 795.421 हेक्टेयर वनग्राम क्षेत्र में आरडीएफ वृक्षारोपण रहित कार्य पर राशि ₹ 1.67 करोड़ खर्च किए। चूंकि वनग्राम में लोग कृषि कार्य के लिए निर्मित मकानों में रहते थे इसलिए ऐसे वन क्षेत्र में बिगड़े वनों का उपचार कार्य करना संभव नहीं था, परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

लाइव हेज के निर्माण में मानव दिवसों के निर्धारित मानदंडों का पालन न करने के कारण क्रमशः राशि ₹ 93.87 लाख और राशि ₹ 39.46 लाख का अधिक व्यय हुआ, साथ ही मात्रा की गलत गणना के कारण राशि ₹ 38.99 लाख का अधिक व्यय हुआ। विरल वन क्षेत्र को सघन वन क्षेत्र मानकर अधिक मानव दिवस का उपयोग कर क्षेत्र की सफाई किये जाने के कारण राशि ₹ 1.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

चयनित 12 में से पांच वनमंडलों में मिट्टी की जांच किए बिना ही पौधरोपण कार्य शुरू कर दिया गया। इसके अलावा, छः वनमंडलों में पौधरोपण जर्नल का रखरखाव भी ठीक से नहीं किया गया। आरडीएफ वृक्षारोपण रहित कार्य का मूल्यांकन 10 वनमंडलों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार छठे वर्ष में नहीं किया गया था। इसके अलावा, 2003 कम्पार्टमेंट्स में बिगड़े वनों के उपचार कार्य के बाद, केवल 383 कम्पार्टमेंट्स (19.08 प्रतिशत) को सफलतापूर्वक घने वनों में परिवर्तित किया जा सका और पांच वनमंडलों के शेष 1620 कम्पार्टमेंट्स (80.92 प्रतिशत) को इन वनमंडलों के नये कार्य योजना के उसी आरडीएफ/पीएलडब्ल्यूसी कार्य वृत्तों में पुनः रखा गया, जो वांछित परिणाम की प्राप्ति में विलंब को दर्शाता है।

- ***राज्य में वनों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना और निर्धारित पद्धति के अनुसार बिगड़े वनों का उपचार करना।***
- ***आरडीएफ कार्यों के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों, विशेष रूप से लागत और कार्मिक मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना।***
- ***आरडीएफ वृक्षारोपण रहित कार्य के परिणाम का आकलन करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा रिपोर्टिंग और निगरानी की एक प्रभावी प्रणाली विकसित करना।***

(कंडिका 3.5)

(vi) लेखापरीक्षा कंडिकाएं

- सूरजपुर संभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा निविदा की विशेष शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य पूरा होने से पहले ठेकेदार को अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा का समय–पूर्व विमुक्त करना और परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त होने के बाद ठेकेदार से जुर्माने सहित ₹ 1.44 करोड़ की वसूली न करना।

(कंडिका 3.6.1)

- स्काई वॉक के निर्माण की परियोजना को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जल्दबाजी में प्रारंभ किया गया था तथा परियोजना के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2017) प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी (दिसंबर 2016)। कंसल्टेंट द्वारा निविदा पूर्व चरण का कार्य पूरा किए बिना ही कार्यादेश जारी कर दिया गया जिससे कार्य के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हुई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्काई वॉक के डिजाइन और संरचना में बाद में किए गए संशोधन ने परियोजना की लागत में वृद्धि की तथा परियोजना के पूरा होने में और देरी की। परिणामस्वरूप, स्काई वॉक परियोजना बिना किसी उपयोगिता के अधूरी रह गई जिससे ₹ 36.82 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

(कंडिका 3.6.2)

अध्याय 4

यह अध्याय राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों का विहंगावलोकन, पाँच वर्ष की अवधि में प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण और राजस्व क्षेत्र से संबंधित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रियाओं के साथ–साथ लेखापरीक्षा की योजना और सीमा के अलावा कर राजस्व के बकाया का विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय 5

इस अध्याय में माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

(i) माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी

विषय केन्द्रित अनुपालन लेखपरीक्षा, विवरणियों के दाखिले की भिन्न–भिन्न प्रवृति और आकड़ों की निरंतर विसंगतियों के संदर्भ में की गई थी, जिसका उद्देश्य विवरणियों के दाखिले और कर भुगतान की निगरानी, अनुपालन की सीमा एवं अन्य विभागीय निगरानी कार्यों में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

यह विषय केन्द्रित अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर संपादित की गई थी जिसमे जोखिम क्षेत्रों, संभावित खतरों और कुछ प्रकरणों में वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए दाखिल जीएसटी विवरणियों में नियम आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया है। यह लेखापरीक्षा राज्य कर विभाग के निगरानी कार्यों के आकलन को दो स्तरों पर जैसे आकड़ों के स्तर पर वैश्विक आकड़ों के प्रश्नों के माध्यम से और कार्य स्तर पर वृत्तों एवं जीएसटी विवरणियों की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा जिसमे करदाता के अभिलेखों तक पहुँचना भी निहित था, के साथ समावेश करता है। इसलिए लेखापरीक्षा के नमूने में 10 वृत्त, वैश्विक प्रश्नों के माध्यम से चयनित 13 मापदण्डों में 532 उच्च मूल्य वाली विसंगतियाँ और वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटी

विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन पर चयनित 25 करदाता शामिल थे।

विभाग ने मार्च 2022 में विवरणियों की जाँच के लिए एक एसओपी तैयार करने के बाद हाल ही में वर्ष 2017–18 के लिए विवरणियों की जाँच शुरू की है। तब तक विभाग द्वारा प्रभावी तरीके से विवरणियों की जाँच नहीं की गई थी। दस वृत्तों के अभिलेखों की समीक्षा में विवरणियों की जाँच की धीमी गति या जाँच का शुरू न होना, जीएसटीआर 10 दाखिल न करने वालों के विरुद्ध अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही और पंजीयन निरस्तीकरण में देरी का पता चला।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गई 532 उच्च मूल्य वाली विसंगतियों में से सभी में विभाग ने उत्तर प्रस्तुत किया। इनमें से 203 प्रकरण जो कुल का 38.15 प्रतिशत हैं, उनमें ₹ 245.91 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ स्पष्ट अनुपालन कमियाँ सामने आई। ब्याज के कम/शून्य भुगतान, इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) भिन्नता, अधिक आईटीसी के लिए जाने और कर के कम भुगतान करने में कमियों की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई। जबकि डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ 17.11 प्रतिशत प्रकरणों में विसंगतियों का कारण बनी और 12.78 प्रतिशत प्रकरणों में विभाग ने सक्रिय कार्यवाही कर ली थी।

जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा से भी महत्त्वपूर्ण गैर–अनुपालन का पता चला। शुरुआत में 25 करदाताओं के नमूने में से पाँच प्रकरणों में आवश्यक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, जीएसटीआर 9सी, जीएसटीआर 2ए एवं अन्य अपेक्षित आधारभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण लेखापरीक्षा का दायरा महत्वपूर्ण रूप में सीमित हो गया। इन प्रकरणों में ₹ 10.67 करोड़ राशि का संभावित जोखिम था जिनमे कर के भुगतान और आईटीसी लिए जाने में भिन्नता की पहचान की गई थी। 20 करदाताओं की विवरणियाँ/आधारभूत अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई और लेखापरीक्षा ने ₹ 6.53 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ 28 अनुपालन कमियां पायी। इनके मुख्य कारण अपात्र/अधिक आईटीसी लेना और आईटीसी का शून्य/कम रिवर्सल, कर का कम भुगतान और ब्याज/विलंब शुल्क का शून्य/कम भुगतान थे।

प्रमुख अनुपालन कमियों को ध्यान में रखते हुए उनके समयबाधित होने से पहले विभाग को सुधारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए थे। एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से विभाग को दस्तावेजीकरण की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने और विवरणियों के दाखिल करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, पंजीयन निरस्तीकरण और त्रुटिकर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए वृत्तों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- ***प्रकरणों के समय बाधित होने से पहले विभाग समयबद्ध तरीके से विवरणियों की जाँच सुनिश्चित कर सकता है।***
- ***विभाग अप्राप्त कर देयताओं की जांच के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंजीयन रद्द करने की स्थिति और उसपर की गई कार्यवाही की निगरानी कर सकता है।***
- ***विभाग पाये गए अनुपालन विचलन के लिए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कर सकता है।***

(कंडिका 5.1)

अध्याय 6

इस अध्याय में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में उपभोक्ता बिलिंग और संग्रहण दक्षता पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

(i) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में उपभोक्ता बिलिंग और संग्रहण दक्षता

अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए संचालित की गई थी कि क्या विद्युत की आपूर्ति, वितरण एवं विक्रय का शत्–प्रतिशत लेखांकन एवं बिलिंग, विद्युत सप्लाई कोड एवं टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जारी किए गए देयकों एवं विगत वर्षों के बकाया का शत्–प्रतिशत संग्रहण प्रभावी एवं कुशल रीति से किया गया।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान सीएसईआरसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा 83.50 से 84 प्रतिशत के विरूद्ध बिलिंग दक्षता 79.84 प्रतिशत से 81.98 प्रतिशत के बीच रही। कंपनी ने अपनी संग्रहण दक्षता की गणना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूत्रों (फॉर्मूला) को लागू नही किया। परिणामस्वरूप संग्रहण दक्षता (–)0.51 प्रतिशत से 4.65 प्रतिशत तक गलत रिपोर्ट की गई। वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान कंपनी ने ₹ 49,471.89 करोड़ की लागत पर 1,26,719.50 एमयू इनपुट/क्रय किया, जिनमें से उपभोक्ताओं को ऊर्जा वितरण के दौरान ₹ 9,283.38 करोड़ मूल्य के 23,788.15 एमयू नष्ट हो गए। नष्ट हुई कुल युनिट में से 3,160.21 एमयू मानक से अधिक थी अन्यथा कंपनी को ₹ 2,157.15 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता। इसके अलावा, विक्रय की गई युनिट में से कंपनी, वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2020–21 के दौरान ₹ 1,591.20 करोड़ मूल्य की 2,376.58 एमयू की वसूली नहीं कर सकी।

अत्यधिक वितरण हानि के प्रमुख कारण डीटीआर मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग में तीव्रता लाने में कंपनी की अकर्मण्यता, एएमआर सिस्टम और सीबी की गैर–स्थापना, ऑकलित बिलिंग के मामलों की अधिकता और खराब मीटरों को बदलने में हुई देरी थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,353.60 करोड़ मूल्य के 1,988.64 एमयू की हानि हुई।

चयनित सर्किलों के लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 31 मार्च 2022 तक, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) की कुल संख्या 64,451 में से 52,926 डीटीआर से मीटर रीडिंग नहीं ली गई थी। इसके अलावा, इन 52,926 डीटीआर में से 45,343 डीटीआर (70.35 प्रतिशत) में मीटर स्थापित नहीं किए गए थे और शेष 7,583 डीटीआर (11.77 प्रतिशत) के मामले में, रीडिंग नहीं ली जा रही थी।

कंपनी ने ₹ 2.65 करोड़ की कम बिंलिग कर उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया। कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत ऊर्जा की खपत कृषि पंपो के अधिकतम रेटेड क्षमता से अधिक थी। परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन को पांच वर्षो में 213.37 एमयू का अतिरिक्त बिल किया गया एवं योजना के अंतर्गत ₹ 145.51 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी का दावा किया गया।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान नमूना इकाइयों में किसी ने भी 99.66 प्रतिशत संग्रहण दक्षता का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। संग्रहण दक्षता लक्ष्य हासिल न करने के मुख्य कारण व्यतिक्रमी उपभोक्ताओं के बिजली आपूर्ति को विच्छेदित करने में कंपनी की निष्क्रियता, विच्छेदित किए गए उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया वसूली अधिनियम के अनुसार प्रभावी कार्रवाई का अभाव, सरकारी विभागों से बकाया, उपभोक्ताओं से उचित सुरक्षा निधि का संग्रहण न करना और परिचालन एवं रखरखाव और सतर्कता जांच के दौरान की गई मांग के विरूद्ध वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाही का अभाव था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केजेजेवाई योजना अंतर्गत फ्लैट रेट सुविधा का चयन करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए गए ऊर्जा के संबंध में सब्सिडी की प्रतिपूर्ति नहीं करने से कंपनी को ₹ 2,163.43 करोड़ का भार वहन करना पडा। कंपनीने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सब्सिडी विमुक्त करने में विलंब के कारण वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान अपने खर्च वहन करने के लिए बैंको/वित्तिय संस्थानों से ₹ 2,097.44 करोड़ का ऋण लिया

उस पर ₹ 214.77 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। कंपनी ने उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण एवं परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन से कम सब्सिडी दावा करने के कारण ₹ 15.74 करोड़ के राजस्व की हानि वहन की। कंपनी न तो अनादृत धनादेशों के संबंध में स्थाई अनुदेशों का पालन सुनिश्चित कर सकी, जिससे राजस्व की प्राप्ति में विलंब हुआ और न ही रोकड़ बही एवं बैंक खातों का समाधान किया। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2022 की स्थिति में ₹ 301.83 करोड़ की राशि का समाधान नही हो पाया।

- ***कंपनी को वितरण ट्रांसफार्मरों की मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, स्वचालित मीटर रीडिंग सिस्टम और कैपेसिटर बैंकों की स्थापना, खराब मीटरों को बदलने में तेजी लाने और उच्च बिलिंग दक्षता प्राप्त करने के लिए सही बिलिंग सुनिश्चित करने और वितरण हानि को कम करने की आवश्यकता है।***
- ***कंपनी को उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग, अनादृत चेक के संबंध में स्थायी आदेशों का अनुपालन न करने और समय पर रोकड़–बही और बैंक खाते का समाधान न करने के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।***
- ***बकाया वसूली के लिए तेजी से उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें व्यतिक्रमी उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किए जाएं, बकाया वसूली करने के लिए सरकारी विभागों और व्यतिक्रमी उपभोक्ताओं को प्रभावशाली रूप में प्रेरित किया जाए, ताकि उच्चतर संग्रहण दक्षता प्राप्त की जा सके।***

(कंडिका 6.1)